राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1767 / 2025

बबीता चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायत राज (चिकित्सा), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेजुसर, खण्ड, नवलगढ़ जिला झुंझुंनू।
5. आशीष कुमार, नर्सिंग अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदरासर, ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जेजुसर, ब्लॉक नवलगढ़, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उदरासर ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को संमजित करने के उद्देश्य से 160 कि.मी. दूर

स्थानान्तरण किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण, राजस्थान स्थानान्तरण नियम–2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अपीलार्थी स्वयं पेट की बीमारी से पीड़ित है उनके दाहिने गुर्दे के ऊपरी हिस्से में 10X10 मिमी का रीनल कॉर्टिकल सिस्ट है। जिसका लगातार इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी के ससुर की मृत्यु हो चुकी है तथा सास वृद्ध विधवा महिला है, जो काफी बीमारियों से ग्रस्त है। जिनका ईलाज राजकीय श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में निरन्तर चल रहा है (अनुलग्नक–5 व 6)। जिनकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही निर्भर करती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्तएवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जेजुसर, ब्लॉक नवलगढ़, जिला झुंझुंनू में निरन्तर कार्य करने दिया जावे तथा वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे

राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)